राजस्थान सरकार
आयोजना (परीवीक्षण) विभाग

क्रमांकः प.6(9)/आयो/3/2021 दिनांकः 24/11/2021

समस्त जिला कलक्टर
राजस्थान।

प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग के पत्रांक प.20(4)प्रसु/सम/अनु–1/2019 दिनांक 05.03.2020 का संदर्भ लेवें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा प्रदेश के जिलों का भ्रमण/दौरो के दौरान क्षेत्र की आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए आमजन के कल्याण के लिए विभिन्न घोषणाएं, निर्देश एवं आश्वासन प्रदान किये जाते है। जिसकी तत्काल क्रियान्विति व सतत् मॉनिटरिंग आवश्यक है। इस संबंध में CMIS पोर्टल पर एक मॉड्यूल बना हुआ है।

उपरोक्त के संबंध में समस्त जिला कलक्टरों को पुनः निर्देश प्रदान किये जाते है कि वे माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा भ्रमण/दौरों के दौरान की गई घोषणा, निर्देश एवं आश्वासन की सूचना तत्काल मुख्यमंत्री कार्यालय (cmis@rajasthan.gov.in) एवं आयोजना विभाग (plan.monitoring@rajasthan.gov.in) को सूचित करना सुनिश्चित करेंगें जिससे इनकी क्रियान्विति/पालना 7 दिवस में संपादित कर CMIS पोर्टल पर अद्यतन की जा सकें। इस कार्य हेतु आपके कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी को जिले का नोडल अधिकारी नियुक्त करें एवं निर्देशों की तत्काल पालना हेतु निर्देशित करावें। इसमें किसी भी प्रकार की कोताही की सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित जिला कलक्टर की होगी।

(निरंजन आर्य)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. वरिष्ठ उपशासन सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
3. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव
4. समस्त संभागीय आयुक्त
5. समस्त विभागाध्यक्ष
6. रक्षित पत्रावली

शासन सचिव, आयोजना